राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

(तृतीय तल – आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर)
फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

क्रमांक : F ( ) RGAVP/Mo./2012 **दिनांक :–**

स्वयं सहायता समूह संगठनों द्वारा समुदाय संदर्भ व्यक्ति (CRPs) उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने बाबत।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका संवर्द्धन संबंधी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के क्रियांवयन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन किया गया है। वर्तमान में परिषद द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियांवयन राज्य के 18 जिलों में किया जा रहा है। परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर, उन्हें प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, आजीविका संवर्द्धन आदि कार्यों में ऐसे व्यक्तियों की मदद ली जावेगी, जो स्वयं सहायता समूहों में जुड़कर अपनी गरीबी दूर कर पाये है। परिषद ऐसे व्यक्तियों को कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) के रूप में तथा उनसे जुड़े संगठनों का पैनल तैयार करेगी। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे ग्राम संगठनों/फेडरेशनस (Community Institutions) से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

इच्छुक संगठन परिषद द्वारा जारी इन्टरनल कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRPs) एवं फेडरेशन के चयन संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिले में परिषद के जिला परियोजना प्रबन्धक से सम्पर्क कर अथवा परिषद की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। प्रस्ताव परिषद के निम्न पते पर भिजवाये :–

पता :

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
तृतीय तल – आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन
तिलक मार्ग, सी–स्कीम
जयपुर

(पी.सी.किशन) आई.ए.एस.
स्टेट मिशन डायरेक्टर

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्

(तृतीय तल – आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर)
फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

आन्तरिक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन्स के लिए फेडरेशन के पैनल तैयार करने की प्रक्रिया

1. फेडरेशन / ग्राम संगठन जो परिषद से जुड़ने के इच्छुक है, सम्बन्धित जिले के जिला परियोजना प्रबन्धक कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई से सम्पर्क कर कार्यक्रम के बारें में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
2. परिषद द्वारा तैयार आवेदन प्रपत्र में विस्तृत विवरण के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रार्थना पत्र परिषद के जिला कार्यालय अथवा राज्य मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
3. आवेदन उपरांत परिषद में स्टेट मिशन डायरेक्टर द्वारा गठित समिति उस फेडरेशन / ग्राम संगठन के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के दौरान संगठन के क्षेत्र में भ्रमण एवं / अथवा संगठन के प्रतिनिधियों को मुख्यालय पर बुलाकर चर्चा आदि की जावेगी।
4. फेडरेशन / ग्राम संगठन एवं उसके पास उपलब्ध कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस की उपयुक्तता पाये जाने पर सम्बन्धित संगठन (Community Institution) से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
5. सहमति उपरांत फेडरेशन के पास उपलब्ध कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन को परियोजना संबंधी जानकारी एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया जावेगा।
6. प्रशिक्षित कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस को कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन एवं समूह निर्माण आदि कार्यों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा एवं इस अवधि का मानदेय सम्बन्धित फेडरेशन को दिया जावेगा।
7. फेडरेशन एवं चिन्हित किये गये कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़े रहेंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस को आवश्यकतानुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 15–15 दिन के 5–7 राउंड गांवों में रहकर परियोजना संबंधी समुदायों के साथ कार्य करना होगा।

<u>आन्तरिक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन्स के लिए फेडरेशन के पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र</u>

1. फेडरेशन / ग्राम संगठन का नाम
2. फेडरेशन का पूर्ण पता
   गांव का नाम : तहसील :
   जिला : दूरभाष :
3. फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम एवं दूरभाष
4. फेडरेशन के सचिव का नाम एवं दूरभाष
5. फेडरेशन की स्थापना का वर्ष एवं पंजीकरण संख्या
6. फेडरेशन के अधीन स्वयं सहायता समूहों की संख्या
7. फेडरेशन के अधीन स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की कुल संख्या
8. फेडरेशन द्वारा विगत 6 माह में समूहों को वितरित ऋण एवं वसूली का विवरण

क्र.सं.	समूह का नाम	माह	वितरित ऋण	ऋण वसूली

9. फेडरेशन के पास उपलब्ध कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस की संख्या ....
10. घोषणा :–

फेडरेशन ने सर्वसम्मति से अपनी बैठक दिनांक .... में निर्णय लिया है कि फेडरेशन को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़कर कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस उपलब्ध कराने चाहिए। इसके लिए फेडरेशन एवं उसके द्वारा मनोनित कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सनस परिषद एवं उसके द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के प्रावधानों अनुसार कार्य करने को तैयार है।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

अध्यक्ष फेडरेशन **सचिव फेडरेशन**